प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.06.2024

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 07.06.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कृष्णा चौक रायल गार्डन के पास से वाहन चोरी करने वाले अभियुक्त रफीक उर्फ राजा पुत्र रहीस निवासी प्रीति विहार डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को चोरी की एक स्कूटी एक्टिवा रजि0 न0 DL2SQ0908 के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद स्कूटी के संबंध में दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से वाहन चोरी कर आसपास के क्षेत्रों में सस्ते दामों में बेच देता हूं। यह स्कूटी मैंने सूरजमल विहार पार्क दिल्ली से चोरी की थी जिसे मैंने छुपाकर रख लिया था। आज इस स्कूटी को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

रफीक उर्फ राजा पुत्र रहीस निवासी प्रीति विहार डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण

चोरी की एक स्कूटी एक्टिवा रजि0 न0 DL2SQ0908 बरामद (सम्बन्धित ई-एफआईआर 015112, ई थेफ्ट थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली)

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली व थाना लोनी पर वाहन चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 50,000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 12.05.2024 को वादी श्री सागर मावी पुत्र श्री विक्रम मावी निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद ने तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि अभियुक्त चरण सिंह भाटी, पवन भाटी, विमला, कविता, चंचल, कुलदीप, पूजा, राहुल भाटी, सोनू बघेल, रोहित भाटी, गौरव, टिंकू, विमल, प्रशांत उर्फ मुत्त, निशांत, राहुल रामबाबू, गगन आदि द्वारा वादी व वादी के पिता को पाइपलाइन रोड पर रास्ता रोककर लाठी, डंडो, पिस्टल, तमंचों से लैस होकर घेरकर हमला करना जिससे वादी का सिर फट जाना तथा वादी के पिता की मृत्यु हो जाना। उक्त तहरीर

के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।

कार्यवाही का विवरण - वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम 1.चरण सिंह पुत्र मंगत राम उम्र करीब 65 वर्ष 2.विमला पत्नी चरण सिंह उम्र करीब 65 वर्ष 3.चंचल पत्नी पवन भाटी उम्र करीब 30 वर्ष 4.पूजा पुत्री चरण सिंह पत्नी कुलदीप उम्र 28 वर्ष निवासीगण राधा विहार कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 5.गौरव पुत्र रामकुमार नागर निवासी ग्राम कचेड़ा थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 40 वर्ष 6-कविता पत्नी परशुराम नि0 बी 424 गली न0 02 अशोक नगर दिल्ली उम्र 45 वर्ष 7-विमल पुत्र रामवीर नि0 राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष 8-प्रशान्त उर्फ मुत्तु पुत्र आनद कुमार नि0 कुम्हार कॉलोनी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 23 वर्ष 9-सोनू मावी पुत्र सुभाष मावी नि0 टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष 10-काले उर्फ़ अंकुर पुत्र संजीव नि0 अमित विहार बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष 11.दीपक उर्फ गोलू पुत्र विनोद दुबे निवासी गली न0-6, डायमण्ड स्कूल के पीछे अमित विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष 12.गौरव पुत्र जगवीर निवासी राजेश का किराए का मकान प्रताप नगर थाना हर्ष बिहार दिल्ली उम्र 24 वर्ष 13. टिंकू उर्फ हेमंत पुत्र सतेंद्र नि0 राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष 14. कुलदीप पुत्र रामरिक निवासी मिलक नंगला कोट का पुल थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष 15.राहुल उर्फ रामबाबू पुत्र बाबूराम शर्मा नि0 राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष 16. रोहित भाटी पुत्र प्रमोद कुमार निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा 01 बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। उपरोक्त मुकदमें में ही नामित अभियुक्त 17.पवन भाटी पुत्र चरण सिंह निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर उम्र 32 वर्ष, थाना आरकेपुरम दिल्ली में अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार हुआ है एवं 18.अभियुक्त गगन पुत्र यतेंदर निवासी सरस्वती विहार लोनी गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को थाना हर्ष विहार दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है।

आज दिनांक 07.06.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त राहुल भाटी पुत्र प्रमोद कुमार निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राहुल भाटी की गिरफ्तारी पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 50,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

उक्त प्रकरण में अभी तक कुल 19 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ करने पर अभियुक्त राहुल भाटी ने बताया कि मैं पवन भाटी का भतीजा हूँ। दिनांक 05.05.2024 को विक्रम मावी ने पवन भाटी के माता पिता व पत्नी के साथ मारपीट की थी जिस कारण से पवन भाटी अपने मामा विक्रम मावी को मारने को आतुर था। विक्रम मावी की हत्या वाले दिन मैं भी मौके पर ही था तथा मेरे द्वारा भी विक्रम मावी के साथ मारपीट की गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

राहुल भाटी पुत्र प्रमोद कुमार निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 25 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 06.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर सायं कालीन चेकिंग के दौरान गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी राशिद उर्फ मुनिरा पुत्र यामीन निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद को मसूरी रेगूलेटर नीलापुल गंगनहर नाहल झाल के पास से गिरफ्तार किया तथा कब्जे से अवैध चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त

के विरुद्ध धारा 4/25 आयुध अधि0 व धारा-10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 29.04.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

राशिद उर्फ मुनिरा पुत्र यामीन निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है तथा धारा-10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम

दिल्ली राज्य में हुए अपहरण कर हत्या की घटना का थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम व स्वाट टीम ट्रांस हिंडन द्वारा सफल अनावरण करते हुए हत्या के अभियोग में वाँछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मृतक का सामान 01 शर्ट (कमीज), 01 जोड़ी जूते, मृतक का पासपोर्ट साइज फोटों, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड , 01 पर्स, पर्स में रखे 766/- रूपये बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 30.05.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि राजू उपाध्याय पता अज्ञात के द्वारा वादिया के पति राकेश वार्ष्णेय का अपहरण कर लिया है। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। शालीमार गार्डन पुलिस टीम व स्वाट टीम ट्रांस हिंडन द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज की सहायता से दिल्ली राज्य में हुए अपहरण कर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए। दिनांक 07.06.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाले 04 अभियुक्त 1. राजू उपाध्याय पुत्र भूकन शरण निवासी सी 5/14 यमुना विहार थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र 56 वर्ष, 2.अनुज गर्ग पुत्र स्व0 हरी गोपाल गर्ग निवासी 51 डी, गली नं0 13 थाना उस्मानपुर ब्रह्मपुरी दिल्ली, 3.कृष्ण अग्रवाल पुत्र यादराम अग्रवाल नि0 म0नं0 4374 गली न07 अजीत नगर थाना गांधी नगर गांधी नगर दिल्ली उम्र 38 वर्ष, 4. हरीश कुमार शर्मा पुत्र किशोरी लाल शर्मा नि0 ग्राम जैनपुर थाना कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर उम्र 48 वर्ष को शिव चौक शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मृतक का सामान 01 शर्ट (कमीज), 01 जोड़ी जूते, मृतक का पासपोर्ट साइज फोटों, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 01 पर्स व पर्स में रखे 766/- रुपये बरामद हुआ। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त राजू उपाध्याय पुत्र भूकन शरण निवासी सी 5/14 यमुना विहार थाना भजनपुरा दिल्ली का मृतक राकेश वार्ष्णेय के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य था। अभियुक्त राजू उपाध्याय ने मृतक राकेश वार्ष्णेय की एक मुरादाबाद स्थित जमीन जो करीब 20-22 करोड की है की दिनांक 19.06.2023 को वसीयत व पावर ऑफ अटार्नी अपने

मिलने वाले मनीष सिंघल के नाम करायी थी इसी जमीन को हडपने के लिए राजू उपाध्याय ने अपने मिलने वाले 1. अनुज गर्ग पुत्र स्व0 हरी गोपाल गर्ग नि0 51 डी, गली न0 13 थाना उस्मानपुर ब्रह्मपुरी दिल्ली 2. कृष्ण अग्रवाल पुत्र यादराम अग्रवाल नि0 म0न0 4374 गली न07 अजीत नगर थाना गांधी नगर दिल्ली 3. हरीश कुमार शर्मा पुत्र किशोरी लाल शर्मा नि0 ग्राम जैनपुर थाना कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर को मकान व पैसे का लालच देकर अपने साथ लेकर चारों व्यक्तियों द्वारा दिनांक 28.02.2024 की रात्रि में राकेश वार्ष्णेय को शराब में नीला थोथा डालकर शराब पिलाकर बेहोशी की हालत में एनीथीशिया की ओवर डोज(6 इंजेक्शन) देकर मृतक राकेश वार्ष्णेय को क्रेटा कार न0 DL 5CU 3391 से मुरादनगर नहर में मारने व शव को छिपाने के उद्देश्य से फेंक दिया था। मृतक राकेश वार्ष्णेय का पर्स व घटना के समय पहनी शर्ट व जूते अभियुक्त राजू उपाध्याय की निशानदेही पर बरामद किये गये हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:</u>

1. राजू उपाध्याय पुत्र भूकन शरण नि0 सी 5/14 यमुना विहार थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र 56 वर्ष।
2. अनुज गर्ग पुत्र स्व0 हरी गोपाल गर्ग नि0 51 डी, गली न0 13 थाना उस्मानपुर ब्रह्मपुरी दिल्ली।
3. कृष्ण अग्रवाल पुत्र यादराम अग्रवाल नि0 म0न0 4374 गली न07 अजीत नगर थाना गांधी नगर दिल्ली उम्र 38 वर्ष।
4. हरीश कुमार शर्मा पुत्र किशोरी लाल शर्मा नि0 ग्राम जैनपुर थाना कोतवाली देहात जि0 बुलन्द शहर उम्र 48 वर्ष।

<u>अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास:</u>

अभियुक्तगणों उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

मृतक का निम्न सामान -

- शर्ट सफेद कलर,
- 01 जोडी जूते ब्लू एंड पैरट कलर,
- पर्स लैदर रंग ब्राउन जिसमें 766 रुपये,
- ड्राइविंग लाइसेंस,
- 01 पासपोर्ट साइज फोटो,
- पैन कार्ड,
- FEDERAL BANK कार्ड, SOUTH INDIA BANK VISA कार्ड

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम व स्वाट टीम ट्रांस हिंडन।

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा हैप्पन डेटिंग एप का प्रयोग करते हुए रंगदारी मांगने व ब्लैकमेल करने वाले 01 अभियुक्त व 02 महिला अभियुक्ता गिरफ्तार।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण / कार्यवाही:</u> दिनांक 07.06.2024 को थाना इंदिरापुरम पर वादी श्री विकास गुप्ता निवासी सी 404 राजहंस सोसायटी इंदिरापुरम द्वारा तहरीर दी गई कि हैप्पन डेटिंग

एप्प के माध्यम से एक महिला से बातचीत करने तथा उस महिला द्वारा उसके साथ घर पर आकर अपने साथियों के साथ वादी से रंगदारी मांगने, झुठे मुकदमे मे फसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने तथा एक महिला व उसके दो अन्य साथियों द्वारा उसे दिनांक 06.06.2024 से झुठे मुकदमे मे फसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जा रहा था । तत्काल थाना इंदिरापुरम पर ससुंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुये उक्त घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त सुधांशु पुत्र सुनील कुमार निवासी फ्लैट नं0-104 टावर 3 राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्द ग्राम गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष व 02 अभियुक्ता को राजहंस प्लाजा अहिसां खन्ड 1 से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त व अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u> - अभियुक्त व महिला अभियुक्ता से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश मे आये है कि अभियुक्ता डेटिंग एप्प पर लोगों को अपनी बातों के जाल में फसाकर उनके साथ मिलने आती है तथा मिलने के दौरान ही अपने साथियों को फोन पर बुला लेती थी। जिसके उपरान्त ये तीनो लोग भोले भाले लोगो को झुठे मुकदमे मे फसाने की धमकी देकर ब्लैकमैल करते थे ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तग / अभियुक्ता का नाम व पताः</u>

1- सुधांशु पुत्र सुनील कुमार निवासी फ्लैट नं0-104 टावर 3 राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्द ग्राम गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष।

2- 02 महिला अभियुक्ता

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः</u>

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।